रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली बृहस्पतिवार, जून 6, 2013/ज्येष्ठ, 16, 1935
No. 163] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2013/JYAISTHA 16, 1935

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
अधिसूचना संख्या – एच0एन0बी0जी0यू0/आर0ओ0/2013/448
श्रीनगर, 14 मई, 2013
केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 13 और 14 में संशोधन

क्र0स0	वर्तमान	संशोधित
1	परिनियम 13 विद्या–परिषद की बैठक के लिए विद्या परिषद् के 9 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी।	अध्यक्ष को छोड़कर विद्या परिषद के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों की उपस्थिति विद्या परिषद् की बैठक हेतु गणपूर्ति मानी जाएगी।
2	परिनियम 14(ए) और (डी) परिनियम (14)(i) वर्तमान में नहीं	कोई परिवर्तन नहीं। 1. विद्या–परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगेः– i. कुलपति ii. प्रतिकुलपति iii. स्कूल के संकायाध्यक्ष iv. अधिष्ठाता छात्र कल्याण v. नियन्ता vi. परीक्षा नियंत्रक vii. कुलसचिव–पदेन सचिव होगा viii. पुस्तकालयाध्यक्ष

		ix. विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, जो अनुच्छेद (ii) से (iv) में सम्मिलित न हों। x. तीन आचार्य, तीन उपाचार्य एवं तीन सहायक आचार्य वरिष्ठता के क्रम के आधार पर एक वर्ष के लिए। xi. वरिष्ठता के आधार पर चक्राउक्रम में एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्थाई पद के प्रति कार्यरत दो प्रचार्य जिनमें एक प्राचार्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों में से नामित होगा। xii. तीन वर्ष के लिए कोर्ट द्वारा निर्वाचित दो व्यक्ति, वे पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होंगे। xiii. विजिटर द्वारा तीन वर्षो के लिए नामित पॉच श्रेष्ठ शिक्षाविद् जो विश्वविद्यालय में सेवारत न हों। xiv. विद्या परिषद द्वारा सहयोजित शैक्षिक उन्नयन एवं विकास में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले पाँच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में सेवारत न हों।

प्रो. पी. एस. राणा, कुलसचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/362ए/13]

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar Garhwal, Uttarakhand
(A Central University)
NOTIFICATION NO- HNBGU/RO/2013/448
SRINAGAR, the 14th May 2013
Amendment to Statute 13 and 14 of the Central Universities Act, 2009

Sl. No.	Existing	Amended
(1)	**(2)**	**(3)**
1	**Statutes 13** Nine members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.	Half of the total members of the Academic Council excluding the Chairman shall form the quorum for the meeting of the Academic Council.
2	**Statutes 14 (a) & (d)** As such **Statutes 14 (i)** Not existing	No change 1. *The Academic Council shall consist of the following members namely :* i. the Vice Chancellor ii. the Pro Vice Chancellor iii. the Deans of School iv. the Dean of Students Welfare v. Proctor vi. Controller of Examination vii. Registrar shall be Ex-Officio Secretary.

		viii. the Librarian ix. All Head of Departments of the University which are not included in clause (ii) to (iv). x. three Professors, three Associate Professors & three Assistant Professors by rotation in order of their seniority for one year. xi. two Principals of affiliated Colleges by rotation in order of their seniority in substantive capacity as Principal, out of which one Principal shall be nominated from Government Colleges affiliated to this University for one year. xii. two members elected by the Court for the period of three years. He/She shall not be eligible for reappointment. xiii. five eminent academicians not being in the service of the University to nominated by the Visitor for a period of three years. xiv. Five persons not in the service of the University co-opted by the Academic Council for their special knowledge in educational progress and development.

Prof. P.S. RANA, Registrar
[ADVT III/4/Exty./362-A/13]

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
अधिसूचना संख्या – एच.एन.बी.जी.यू./आर0ओ0/2013/448
श्रीनगर, 14 मई, 2013
केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 11 और 12 में संशोधन

क्रम संख्या	वर्तमान	संशोधित
1	परिनियम 11 कार्यपरिषद् की बैठक के लिए बैठक में कार्यपरिषद् के 7 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जाएगी।	अध्यक्ष को छोड़ कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्य जिनमें से दो सदस्य विजिटर के द्वारा मनोनीत सदस्यों में से होंगे।
2	परिनियम 12 (1) और (2) परिनियम 12 (3) वर्तमान में विद्यमान नहीं	कोई परिवर्तन नहीं **1.** कार्यपरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगेः i. कुलपति ii. प्रति कुलपति iii. स्कूल के तीन संकायाध्यक्ष जो वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में चुने जाएंगे। iv. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य, प्राचार्य के रूप में स्थायी नियुक्ति के आधार पर जो

		वरिष्ठता अनुसार चक्रानुक्रम में चयनित किया जायेगा। v. चक्रीय क्रम में, वरिष्ठता के आधार पर चयनित एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर तथा एक एसिसटेंट प्रोफेसर। vi. कोर्ट द्वारा निर्वाचित एक सदस्य, वह पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा। vii. कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति। viii. विजिटर द्वारा नामित चार व्यक्ति। ix. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति। x. सचिव, उच्च शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नामित एक व्यक्ति। 2. कार्यपरिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। 3. कोई सदस्य एक समय में एक से अधिक रूप में कार्यपरिषद् का सदस्य नहीं होगा। 4. अध्यक्ष के अतिरिक्त कार्यपरिषद् के आधे सदस्यों की उपस्थिति, जिनमें दो सदस्य विजिटर द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे, गणपूर्ति मानी जाएगी। 5. कुलसचिव पदेन सचिव होंगे। 6. अगर उप धारा (iii), (iv) और (v) में कार्यभार ग्रहण की तिथि एक ही है तो वरिष्ठता जन्म तिथि के आधार पर तय की जाएगी, अर्थात् जिसकी जन्म–तिथि पहले होगी, वह वरिष्ठ माना जाएगा।

India Code

प्रो. पी. एस. राणा, कुलसचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/362.ए/13]

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar Garhwal, Uttarakhand
(A Central University)
NOTIFICATION NO- HNBGU/RO/2013/448
SRINAGAR, the 14th May 2013
Amendment to Statute 11 and 12 of the Central Universities Act, 2009

Sl. No.	Existing	Amended
(1)	**(2)**	**(3)**
1	**Statutes 11** Seven members of the Executive Council shall form the quorum for a meeting of the	Half of the total members of the Executive Council excluding the Chairman shall form the quorum for the meeting of the Executive Council out of which two members shall be from among the visitor's nominee.

	Executive Council.	
2	**Statutes 12 (1) & (2)** As such **Statutes 12 (3)** Not existing	No Change 1. The Executive Council shall consist of the following members: i. the Vice Chancellor ii. the Pro Vice Chancellor iii. three Deans of the School to be selected by rotation in order of seniority. iv. one Principal from Govt./Govt. aided colleges affiliated with HNBGU to be selected by rotation in order of seniority in substantive capacity as Principal. v. one Professor, one Associate Professor and one Assistant Professor to be selected by rotation on the basis of seniority. vi. one member elected by the Court. He/She shall not be eligible for reappointment. vii. one person to be nominated by the Chancellor. viii. four persons to be nominated by the visitor. ix. One person to be nominated by the Chairman, UGC. x. One person to be nominated by the Secretary, Higher Education, MHRD. 2. the members of the Executive Council should hold office for a term of three years. 3. at a time no person shall continue to be a member of the Executive Council in more than one capacity. 4. Half of the total members of the Executive Council excluding the Chairman shall form the quorum for the meeting of the Executive Council out of which two members shall be from among the visitor's nominee. 5. Registrar shall act as Ex-Officio Secretary 6. In case of Sub-Clause (iii), (iv) and (v) if the date of joining is the same, the seniority will be decided by date of birth i.e. the person having earlier date of birth being senior.

Prof. P.S. RANA , Registrar
[ADVT. III/4/Exty./362-A/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.